

स्टेट बार कौंसिल आफ मध्यप्रदेश, जबलपुर

प्राविधिक नामांकन प्रमाण पत्र

(वैधता दिनांक 03/12/2021

से दिनांक 02/12/2023

तक)

नामांकन क्रमांक

MP/5222/2021


नामांकन दिनांक

03/Dec/2021

वृत्तिकस्थल

BHIND

प्रति,



Shri AKHAND PRATAP SINGH

S/O SHISHUPAL SINGH

KUSHWAHA COLONY ETAWAH ROAD BHIND

महोदय / महोदया,

एतद् सूचित किया जाता है कि स्टेट बार कौंसिल आफ मध्यप्रदेश की नामांकन समिति द्वारा नामांकन क्रमांक MP/5222/2021 दिनांक 03/Dec/2021 के द्वारा आपको एडवोकेट घोषित कर दिया गया है एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ म.प्र. की अधिवक्ता नामावली पंजी में अंकित कर लिया गया है ।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई, अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49(1) (ए एच) के अंतर्गत बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर विधि व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है ।

बार कौंसिल आफ इंडिया की अखिल भारतीय बार परीक्षा समिति कि बैठक दिनांक 26 अगस्त 2012 में पारित प्रस्ताव के अनुसार यह प्राविधिक नामांकन प्रमाण पत्र आपके नामांकन दिनांक 03/12/2021 से दिनांक 02/12/2023 तक मात्र दो वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा उक्त दो साल की अवधि में यदि आपके द्वारा अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो उस स्थिति में आपको परिषद द्वारा पुनः प्राविधिक नामांकन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा एवं आपके अधिवक्ता व्यवसाय करने पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक की आप अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते है । यदि आपके द्वारा दो साल की अवधि के अंदर अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको प्राविधिक नामांकन प्रमाण पत्र परिषद में वापिस जमा करना होगा तदुपरांत ही बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले Certificate of Practice के आधार पर आपको परिषद द्वारा अधिवक्ता नामांकन की मूल सनद एवं परिचय पत्र जारी किया जायेगा ।

अखिल भारतीय बार परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली से निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :-

THE SECRETARY

Bar Council of India

21, Rouse Avenue, Institutional Area,

Near Bal Bhawan, New Dehli, Pin 110002

Telephone No 011-49225000, 32402082

Telefax-011 41036283

Email: info@barcouncilofindia.org,Website : www.barcouncilofindia.org

भवदीय

कार्यकारी सचिव

नोट - प्राविधिक प्रमाण पत्र के आधार पर आप अपने व्यवसाय स्थल के अधिवक्ता संघ में सदस्यता प्राप्त कर सकते है, जो 2 वर्ष की अवधि हेतु प्रमाणित किया जाता है।